रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 10 मई, 2005/20 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 30 अप्रैल, 2005

संख्या बी एल पी-पंच-14-9/81-826-31.—क्योंकि श्री श्रवण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, चान्दपुर के विरुद्ध ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा विकास कार्यों पर अनुदान राशि के दुरुपयोग के सन्दर्भ में की गई शिकायत के फलस्वरूप ग्राम पंचायत चान्दपुर के लेखों का पुनः अंकेक्षण अवधि 1-4-2001 से 31-10-2004 तक का जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय के जिला अंकेक्षण अधिकारी (पं०), बिलासपुर से करवाया गया जिससे उक्त प्रधान द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के निष्पादन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके लिए वे दोषी पाए गए हैं :—

1. बावड़ी निर्माण घुघराहड एवं मुरम्मत बावड़ी हरिजन बस्ती तरेड पर जिला कल्याण अधिकारी, बिलासपुर से क्रमशः मु० 25000/- रुपये दिनांक 19-4-2002 तथा मु० 15000/- रुपये दिनांक 11-11-2003 को प्राप्त हुए थे, जिनका प्रधान द्वारा रोकड़ में इन्द्राज नहीं करवाया गया बल्कि बावड़ी निर्माण घुघराहड पर मु० 28039/- रुपये वर्ष 2003-04 से ग्राम पंचायत निधि से व्यय किए हैं। इस प्रकार प्रधान द्वारा दिनांक 19-4-2002 से मु० 25000/- रुपये तथा दिनांक 11-11-2003 से मु० 15000/- रुपये का स्पष्ट छलहरण/दुरुपयोग किया गया है।

2. रास्ता कुंगरहटी से तलवाड पर 4 ट्राली रेता 750/- रुपये प्रति ट्राली की दर से मु0 3000/- रुपये बनते थे परन्तु राजेश सुपुत्र श्री संत राम, गांव तलवाड को बिल/रसीद के अनुसार रोकड़ बही पृष्ठ 97, दिनांक 27-12-2003 को मु0 9520/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया है । इस प्रकार 9520—3000=6520 रुपये का अनाधिकृत व्यय रोकड़ दर्ज करके राशि का स्पष्ट छलहरण/दुरुपयोग किया गया है ।

3. रास्ता चान्दपुर पर वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में मु0 29400/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ जबकि इस पर वर्ष 2001-2002 में मु0 44370/- रुपये व्यय किए गए हैं । इस प्रकार मु0 14970/- रुपये की राशि अनुदान से अधिक व्यय ग्राम निधि से बिना बजट प्रावधान एवं स्वीकृति से अनाधिकृत रूप से व्यय करके राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

4. निम्न विकास कार्यों का मूल्यांकन तकनीकी सहायक द्वारा किया गया है । जिसमें मूल्यांकन से अधिक व्यय दर्शा कर कुल मु0 3412/- रुपये का छलहरण/दुरुपयोग किया गया है :—

क्र0 सं0	नाम योजना	वर्षानुसार प्राप्त अनुदान	व्यय	मूल्यांकन	मूल्यांकन से अधिक व्यय
1.	खन्न से चान्दपुर रास्ता	2001-02—12398	12580/-	9489/-	3091/-
2.	रास्ता हैंड पम्प से आरा मशीन ।	2001-02 —35020/-	35039/-	34877/-	162/-
3.	गांव खन्न रास्ता गरजा राम के घर से बलदेव के घर तक ।	11वां वितायोग/ 2003-04.	20784/-	20625/-	159/-
				योग ..	3412/-

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित क्रमांक 1 से 4 तक निष्पादित विकास कार्यों पर कुल मु0 64902/- रुपये की राशि का छलहरण/दुरुपयोग किया गया है जो प्रधान, ग्राम पंचायत चान्दपुर से काबले वसूली बनते थे ।

उक्त के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या वी एल पी-पंच-14-9/81-15-17, दिनांक 2-4-2005 के अन्तर्गत श्री श्रवण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत चान्दपुर, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर से मु0 64902/- रुपये की राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में 10 दिनों के अन्दर-अन्दर जमा करने/स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उन द्वारा निर्धारित अवधि में न तो कोई राशि जमा करवाई गई और न ही कोई स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार उक्त प्रधान मु0 64902/- रुपये की राशि के दुरुपयोग/छलहरण के दोषी पाए गए हैं, जो उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही/दुरुपयोगिता एवं पद की गरिमा के खिलाफ है । इस प्रकार प्रधान जैसे महत्वपूर्ण व उत्तरदायित्व पद पर उक्त श्री श्रवण सिंह नहीं रह सकते ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) व (2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 142 (1) के अनुसार

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्रवण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत चान्दपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूं तथा उन्हें यह भी आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल या अचल सम्पति व अन्य अभिलेख हो तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत चान्दपुर को तुरन्त सौंप दें।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

आदेश

हमीरपुर, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 एम0 आर0 (5) (ई0) 1/2004-331-38.—इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश संख्या 8481-89, दिनांक 11-2-2005, जिसके अन्तर्गत श्रीमती सुमन कुमारी, प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत जमली के विरुद्ध प्रमाणित आरोप की नियमित जांच हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), बड़सर को जांच अधिकारी तथा जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायत) कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर को प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था, के अनुक्रम में :

यह कि ग्राम पंचायत जमली के अभिलेखों की अवधि 4/2001 से 31-3-2004 का पुनः अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण पत्र में प्रमाणित हुई गम्भीर आपत्तियों पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर ने श्रीमती सुमन कुमारी, प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत जमली को कारण बताओ नोटिस सं0 8567-73, दिनांक 25-2-2005 आरोप सूची सहित जारी कर आरोप सूची में वर्णित आरोपों बारे 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी, बिझड़ी के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु विहित अवधि के भीतर उसका उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा गया है कि उसे इन आरोपों बारे कुछ नहीं कहना है। अतः यह उचित है कि इन आरोपों को इससे पूर्व में जारी आरोप सूची में जोड़ा जाकर इन पर भी नियमित जांच करवाई जाये। आरोपों का विवरण जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर द्वारा जारी उक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस के साथ संलग्न आरोप सूची में क्रमांक 1 से 4 में दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

क्योंकि श्रीमती सुमन कुमारी पहले ही प्रधान पद से प्रमाणित आरोप के आधार पर निलम्बित है। अब उक्त वर्णित आरोपों की वास्तविकता जानने व मामले की पूर्ण स्थिति सामने लाने हेतु नियमित जांच करवाई जानी आवश्यक है।

अतः मैं, देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुमन कुमारी, प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायती जमली, विकास खण्ड बिझडी के विरुद्ध उक्त कथित आरोपों को पूर्व में जारी आदेश सं0-8481, दिनांक 11-2-2005 में वर्णित आरोप के साथ जोड़कर सभी आरोपों की जांच हेतु जांच अधिकारी उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बडसर को निर्देश देता हूं कि वह सभी आरोपों की जांच करके रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रेषित करें।

देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0),
उपायुक्त, हमीरपुर,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

श्रीमती सुमन कुमारी, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत जमली के विरुद्ध पुनः अंकेक्षण पर विशेष रिपोर्ट अनुसार गम्भीर आरोपों की सूची

आरोप नं0 1.—पंचायत कार्यवाही दिनांक 27-7-2001 के प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा मु0 4200/-रुपये बैंक खाता से निकालने के लिए प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी को अधिकृत किया गया था। यह राशि चैक संख्या 834319 द्वारा दिनांक 28-7-2001 को प्रधान द्वारा बैंक से निकालकर इस राशि का तत्काल रोकड़ इन्द्राज न करवाकर इस राशि का अपहरण किया गया। इस मु0 4200/-रुपये की राशि का दिनांक 28-7-2001 से 1-12-2002 तक निजी प्रयोग में लाकर दिनांक 2-12-2002 को इस राशि को पंचायत में दे कर रोकड़ इन्द्राज कराया गया। इस तरह प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी, ग्राम पंचायत जमली ने दिनांक 28-7-2001 से 1-12-2002 तक मु0 4200/-रुपये का अपहरण कर निजी प्रयोग में लाकर एवं पंचायत को मिलने वाले ब्याज की क्षति पहुंचाकर इस राशि का दुरुपयोग किया गया है।

आरोप नं0 2.—पंचायत की कार्यवाही दिनांक 5-3-2002 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा मु0 4200/-रुपये बैंक खाता से निकालने हेतु प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी को अधिकृत किया गया था। यह राशि चैक संख्या 180788 द्वारा दिनांक 20-3-2002 को प्रधान द्वारा बैंक से निकालकर इस राशि का तत्काल रोकड़ इन्द्राज न करवाकर अपहरण किया गया। इस मु0 4200/-रुपये की राशि का दिनांक 20-3-2002 से 1-12-2002 तक निजी प्रयोग में लाकर दिनांक 2-12-2002 को इस राशि को पंचायत में देकर रोकड़ इन्द्राज कराया गया। इस तरह प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी, ग्राम पंचायत जमली ने दिनांक 20-3-2002 से 1-12-2002 तक मु0 4200/रुपये का अपहरण कर निजी प्रयोग में लाकर एवं पंचायत को मिलने वाले ब्याज की क्षति पहुंचाकर इस राशि का दुरुपयोग किया गया है।

आरोप नं0 3.—पंचायत रोकड़ में दिनांक 15-8-2002 को दर्ज बाऊचर नं0 15 के अनुसार निर्माण रास्ता गांव जमली मुख्य सड़क से बौड़ी तक कार्य हेतु मु0 8,000/-रुपये अग्रिम प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी ने प्राप्त किए। परन्तु इस राशि का न तो विहित कार्य हेतु उपयोग किया गया और न ही इसे शीघ्र पंचायत को वापिस किया। उसने यह राशि दिनांक 5-10-2004 को रसीद नं0 3836/64 द्वारा पंचायत में जमा कराई गई। इस तरह प्रधान ने मु0 8000/रुपये का दिनांक 15-8-2002 से 4-10-2004 तक निजी प्रयोग में लाकर दुरुपयोग किया तथा इस राशि पर पंचायत को मिलने वाले ब्याज से वंचित रखा।

आरोप नं0 4.— पंचायत रोकड़ में दर्ज विवरण अनुसार प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी ने निम्न प्रकार से पंचायत की नकद राशि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली, 1975 के नियम 8 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली, 2002 के नियम 10(3) के प्रावधान की अवहेलना कर अपने पास रख कर पंचायत को मिलने वाले ब्याज से वंचित रखा :—

मास 1	प्रधान के पास राशि 2
	रु0 पै0
4/2001	327.00
5/2001	258.00
12/2001	776.00
1/2002 व 2/02	18076.00
1/2003	1322.85

1	2
2/2003	1382.85
3 व 4/2003	916.85
5/2003	797.25
6/2003	890.25
7/2003	617.25
9/2003	643.50
10/2003	703.50
1/2004	882.35
3/2004	4018.35
8/2004	7440.00
11/2004	8000.00

हस्ताक्षरित/-
जिला पंचायत अधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी सी एच (कु०) त्यागपत्र/रिक्त स्थान-884-89.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी आनी ने अपने पत्र संख्या 2488, दिनांक 3-2-2005 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत डिंगीधार के वार्ड ठैर से निर्वाचित सदस्य श्री जीत राम की दिनांक 3-1-2005 को मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत डिंगीधार के सदस्य का पद रिक्त हो गया है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत डिंगीधार के पारित प्रस्ताव दिनांक 25-1-2005 में की गई है।

अतः मैं, आर० डी० नजीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत डिंगीधार, विकास खण्ड आनी में सदस्य का पद उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूं।

कुल्लू, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी सी एच (कु०) त्यागपत्र/रिक्त स्थान-890-94.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 1292, दिनांक 3-3-2005 में सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत चौंग के वार्ड संख्या 5 से निर्वाचित पंच श्रीमती टिकमू देवी की मृत्यु दिनांक 17-1-2005 को हो जाने के कारण ग्राम पंचायत चौंग के वार्ड संख्या 5 में पंच का पद रिक्त हो गया है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत चौंग के प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 25-1-2005 तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण-पत्र से होती है।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत चौंग, विकास खण्ड कुल्लू में उक्त पद को उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूं ।

कुल्लू, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी सी एच (कु0) त्यागपत्र/रिक्त स्थान-895-900.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 449, दिनांक 15-1-2005 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत तेगुबेहड से निर्वाचित सदस्य श्री लच्छू राम की दिनांक 2-12-2004 को मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत तेगुबेहड़ के वार्ड नं0 5 में सदस्य का पद रिक्त हो गया है । जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत तेगुबेहड़ के पारित प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 28-12-2004 में की गई है ।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत तेगुबेहड़, विकास खण्ड कुल्लू में प्रधान का पद उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूं ।

कुल्लू, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी सी एच (कु0) त्यागपत्र/रिक्त स्थान-901-06.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 449, दिनांक 15-1-2005 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत भूलंग से निर्वाचित प्रधान श्री दिले राम की दिनांक 2-1-2005 को मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत भूलंग में प्रधान का पद रिक्त हो गया है । जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत भूलंग के पारित प्रस्ताव संख्या 1, दिनांक 7-1-2005 में की गई है ।

अतः मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायत भूलंग, विकास खण्ड कुल्लू में प्रधान का पद उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूं ।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित